संख्या-3/2018/469/90-सं0शि0प0का0-2018-01 सं0शि0/2015

प्रेषक,

कौशेलेन्द्र यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2018**

विषय: मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा शासन एवं जनपद स्तर पर भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव के पत्र संख्या-1105/90-सं-1-2012-70सं/1984, दिनांक 28-09-2012 (संलग्नक-1) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन स्तर पर प्रत्येक शाखा में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के, जिला स्तर पर कम से कम उप जिलाधिकारी स्तर के तथा जनपद के पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक-एक अधिकारी को **"नोडल अधिकारी"** नामित किये जाने के निर्देश दिये गये थे जो मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही की लगातार मॉनीटरिंग अपने स्तर पर करते रहेंगे तथा उसके बारे में विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव तथा विभागाध्यक्षों/ जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2- इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र संख्या-1117/90-सं-2015-70सं/1984, दिनांक 15-10-2015 (संलग्नक-2) द्वारा मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों के पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में **"जन-प्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों के पत्रों को दर्ज किया जाये एवं समय से इसकी पावती भेजी जाये और कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

3- यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव के पत्र संख्या-2/18-400/90-सं0शि0प0का0-18-01सं0शि0/2015 दिनांक 03 अप्रैल, 2018 (संलग्नक-3) में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बाद भी शासन स्तर पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और प्राय: यह देखा जा रहा है कि जिला स्तर पर मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यगणों को नहीं दी जा रही है। अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि कृपया मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों को उपर्युक्त **"जन-प्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर" में अंकित करते हुये उक्त पत्रों की पावती उक्तानुसार भेजते हुये उन पर प्राथमिकतापूर्वक कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही से संबंधित मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।**

shasanadesh.up.nic.in

4- शासन स्तर से पूर्व में निर्गत उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में पुन: जारी किये जा रहे उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन व्यक्तिगत ध्यान देते हुये कृपया शीर्ष प्राथमिकता पर करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदनुसार "अधीनस्थ कार्यालयों" को आवश्यक अनुदेश भी अपने स्तर से प्रदान किये जायें।

5- इस सम्बन्ध में शासन स्तर से समय-समय पर मा0 सांसदों/विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के पत्रों पर की गयी कार्यवाही के प्रभावी अनुश्रवण हेतु **निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक सूचना** समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। शासन के पत्र दिनांक 06-01-2016, 23-02-2016, 26-04-2016, 06-07-2016, 10-08-2016, 28-11-2016, 27-01-2017, 21-04-2017, 27-07-2017, 31-10-2017, एवं 12-01-2018 द्वारा अनुस्मरण कराये जाने के उपरान्त भी अभी तक "नोडल अधिकारी" नामित किये जाने और मा0 सांसद/विधानमण्डल के सदस्यगण से प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही विषयक सूचनायें **"निर्धारित प्रारूप-1" (संलग्नक-4)** में समयबद्ध रूप से समस्त सम्बन्धितों से संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग को प्राप्त नहीं हो रही है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

6- **सूच्य है कि उक्त संकलित त्रैमासिक सूचनाओं के सम्बन्ध में मा0 संसदीय अध्ययन समिति द्वारा समय-समय पर विचार-विमर्श एवं साक्ष्य हेतु बैठक आयोजित की जाती हैं।**

7- उल्लेखनीय है कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के पत्रों पर की गयी कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु प्राप्त कतिपय सूचनाओं के कालम-7 में मा0 सांसद/मा0 विधायक को कृत कार्यवाही से अवगत कराने के सम्बन्ध में यह अंकित किया जाता है कि मा0 सांसद/मा0 विधायक ने अपने पत्र में कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा नहीं की है, जो शासन स्तर से समय-समय पर जारी आदेशों संसदीय शिष्टाचार के विपरीत है। साथ ही कृपया- "नामित नोडल अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सूचनाओं की समीक्षा करने के उपरान्त"- ही शासन को "निर्धारित प्रारूप-2" (संलग्नक-5) में उपर्युक्त सूचना उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में क्रमश: शासन के पत्र दिनांक 21-04-2015 एवं पत्र दिनांक 20-05-2015 द्वारा पूर्व में तथा समय-समय पर निर्गत पत्रों द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है।

अत: आपसे निम्नानुसार अनुरोध है :-

(क) उपर्युक्तानुसार अवगत होकर कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर से पूर्व में समय-समय पर निर्गत पत्रों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अपने स्तर से -**"नोडल अधिकारी"-** अविलम्ब नामित कर उसकी अद्यतन सूचना संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग को -**"निर्धारित प्रपत्र-1"-** में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ख) इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 के प्रथम त्रैमास (01 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017) एवं द्वितीय त्रैमास (1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017) तथा तृतीय त्रैमास (1 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2017) एवं चतुर्थ त्रैमास (01 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017) तक के पूर्ववर्ती त्रैमासों की सूचना उपलब्ध कराने के साथ ही वर्तमान प्रथम त्रैमास (01 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2018) की वांछित सूचना संकलित कर-"नोडल अधिकारी द्वारा अपने स्तर से समीक्षा के उपरान्त"-संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग को-**"निर्धारित प्रपत्र-2"-** में कृपया अविलम्ब उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक: यथोक्त : (05)

भवदीय,

कौशलेन्द्र यादव
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-3/2018/469/90-सं0शि0प0का0-2018-01सं0शि0/2015, दिनांक- 24 अप्रैल, 2018 का संलग्नक सं0 :- 01 (प्रतिलिपि के रूप में)

रजिस्टर्ड

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-1105/90सं-1-2012-70सं/1984

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय कार्य अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 28 सितम्बर, 2012**

विषय : मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर प्रभावी एवं निश्चित कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से इनका अनुश्रवण करने हेतु विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन द्वारा लगातार इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति तुरन्त स्वीकार की जाय तथा जिन पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही संभव हो एवं मांगी गयी जो सूचनायें कार्यालय में उपलब्ध हों, उन पर पूर्ण कार्यवाही करके समुचित उत्तर तत्काल मा0 सदस्यों को प्रेषित कर दिया जाय। जिन मामलों में जाँच करने अथवा सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगने की सम्भावना हो, उन मामलों में मा0 सदस्यों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करते हुये उसकी पावती की सूचना इस उल्लेख के साथ दे दी जाय कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके बावजूद माननीयों द्वारा शासन को इस प्रकार की शिकायतें प्रेषित की जाती रहती है कि उनके द्वारा भेजे गये पत्रों के उत्तर अधिकारियों द्वारा नहीं दिये जाते हैं और यदि पत्र की प्राप्ति स्वीकार भी की जाती है तो उस पर कृत कार्यवाही की सूचना नहीं दी जाती है। इससे लगता है कि निश्चित रूप में अब तक जारी किए गये उपर्युक्त शासनादेशों का पालन नहीं किया जाता हैं, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

2- आप अवगत हैं कि संसदीय लोकतंत्र में जन-प्रतिनिधियों का विशेष महत्व है तथापि इनके द्वारा लिख जाने वाले पत्रों आदि के बारे में, लगातार स्पष्ट दिशा-निर्देश के बावजूद, अधिकारियों द्वारा जन-प्रतिनिधियों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करते हुए उन पर यथावांछित कार्यवाही तुरन्त करने एवं उसकी सूचना उन्हें नहीं दी जा रही है। यह स्थिति उचित नहीं है।

shasanadesh.up.nic.in

3- अभी हाल में ही, इस संबंध में गठित, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की संसदीय अध्ययन समिति द्वारा आहूत अपनी बैठकों में संबंधित विभागों के अधिकारियों का साक्ष्य लिया गया तथा शासन द्वारा जारी किये गये उक्त शासनादेशों का अनुपालन न होने पर खेद व्यक्त करते हुये इसे गंभीरता से लिया गया है। अत: प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों के पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय। इस हेतु शासन स्तर पर प्रत्येक शाखा में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी, जिला स्तर पर कम से कम उप जिलाधिकारी के स्तर के एक अधिकारी तथा पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाय, जो कि मा0 सदस्यों के पत्रों की लगातार मानीटरिंग अपने स्तर पर करते रहेंगे तथा उसके बारे में विभाग प्रमुख तथा विभागाध्यक्षों को अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यवाही से मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जन प्रतिनिधियों के पत्रों/शिकायतों आदि विषयों का समयबद्ध रूप से समुचित निस्तारण हो सकेगा।

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी को पुन: यह निर्देशित करना है कि कृपया उपरोक्तानुसार मा0 सांसद/सदस्यगण के पत्रों पर यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इनका अनुश्रवण करने तथा उन पर निर्दिष्ट व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा समस्त निगमों/उपक्रमों व जिला स्तर के कार्यालयों को तदनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्राथमिकता के आधार पर निर्गत करायें।

भवदीय,
(ह0)
जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव।

संख्या-1105 (1) /90सं-1-2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1-प्रमुख सचिव, मा मुख्यमंत्री ।

2-प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ ।

3-सचिव नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

5-प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।

6-अनु सचिव, एवं समिति अधिकारी, विधान परिषद् सचिवालय (समिति अनुभाग) के पत्र संख्या 340/वि0प0-समिति-2, दिनांक 18 सितम्बर, 2012 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
(ह0)
जकी उल्लाह खाँ
विशेष कार्याधिकारी।

shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-3/2018/469/90-सं0शि0प0का0-2018-01सं0शि0/2015, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 का संलग्नक सं0 :-02 (प्रतिलिपि के रूप में)

आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या-1117/90सं-1-2015-70सं/1984

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
3-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
4-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय कार्य अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2015**

विषय : मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन द्वारा जारी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अपेक्षा की गयी है कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की तुरन्त पावती स्वीकार की जाये और उनके संबंध में वांछित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर प्रकरण के निस्तारण की अन्तिम स्थिति से उन्हें शीघ्र अवगत कराया जाय तथा जिन पत्रों के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना हो, उनके संबंध में मा0 सदस्य को एक अन्तरिम उत्तर भेजते हुए यह अवगत करा दिया जाये कि इस प्रकरण में जाँच/सूचना आदि एकत्र करने में समय लगने की सम्भावना है।

मा0 सदस्यों द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के पत्रों की न तो पावती स्वीकार की जाती है और न ही उनके पत्रों पर कृत कार्यवाही की सूचना उन्हें दी जाती है। यह भी अनुरोध किया गया है कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों के बारे में सरकारी कार्यालयों में पृथक से जप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर रखा जाय, ऐसे प्राप्त पत्रों को दर्ज की जाय जिससे पत्रों के गायब होने की सम्भवाना न रहे।

shasanadesh.up.nic.in

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों के संबंध में प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में उपरोक्तानुसार एक जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर रखा जाय, जिसमें मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों को दर्ज किया जाये। समय से उसकी पावती भेजी जाये और निस्तारण की अन्तिम स्थिति से भी संबंधित को यथाशीघ्र अवगत कराया जाये। जिन प्रकरणों में समय लगने की संभावना हो, उसके बारे में एक अन्तिम उत्तर भेजकर पृथक् से उन्हें अवगत करा दिया जाय, जिससे मा0 सदस्यों को उसी मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े। तत्सम्बन्धी प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में भी की जाय। इसके साथ ही मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों व जनप्रतिनिधियों के पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में संसदीय कार्य अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 28-09-2012 जिससे शासन स्तर पर प्रत्येक शाखा में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी व जिला स्तर पर कम से कम उप जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी तथा पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किए जाने व ऐसे पत्रों की अनवरत समीक्षा का प्राविधान किया गया है, के अनुसार इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
(ह0)
आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-1117 (1) /90सं-1-2015, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
2-प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
3-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
4-प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
(ह0)
अब्दुल शाहिद
प्रमुख सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-2/2018/400/90-सं0शि0प0का0/18-01(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 03 अप्रैल, 2018**

विषय: मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के सदस्यों द्वारा शासन एवं जनपद स्तर पर भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1105/90-सं-1-2012-70सं/1984, दिनांक 28-09-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन स्तर पर प्रत्येक शाखा में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के, जिला स्तर पर कम से कम उप जिलाधिकारी स्तर के तथा जनपद के पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक-एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये थे जो मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही की लगातार मॉनीटरिंग अपने स्तर पर करते रहेंगे तथा उसके बारे में विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव तथा विभागाध्यक्षों/ जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2- इसके अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-1117/90-सं-2015-70सं/1984, दिनांक 15-10-2015 द्वारा मा0 सांसदों/विधान-मण्डल सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों के पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में **"जन-प्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें यह आदेश जारी किये गये थे कि मा0 सांसदों/विधान-मण्डल सदस्यों के पत्रों को उक्त रजिस्टर में दर्ज किया जाये एवं समय से इसकी पावती भेजी जाये और कृत कार्यवाही से मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल सदस्यों को अवगत कराया जाये।

3- उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बाद भी शासन स्तर पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और प्राय: यह देखा जा रहा है कि जिला स्तर पर मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यगणों को नहीं दी जा रही है। अत: आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों को उपर्युक्त **"जन-प्रतिनिधि**

जारी कृपया पृ0-2-

shasanadesh.up.nic.in

पत्राचार रजिस्टर" में अंकित करते हुये उक्त पत्रों की पावती उक्तानुसार भेजते हुये उन पर प्राथमिकतापूर्वक कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही से संबंधित मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।

4- शासन स्तर से पूर्व में निर्गत उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में पुन: जारी किये जा रहे उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन व्यक्तिगत ध्यान देते हुये शीर्ष प्राथमिकता पर करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदनुसार "अधीनस्थ कार्यालयों" को आवश्यक अनुदेश भी अपने स्तर से प्रदान किये जायें।

भवदीय,

(ह0)

राजीव कुमार

मुख्य सचिव।

संख्या-2/2018/400(1)/90-सं0शि0प0का0/18-01(सं0शि0)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ह0)

सुरेश कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र-1

मा0 सांसद एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों के पत्रों पर प्रभावी एवं निश्चित कार्यवाही किये जाने का अनुश्रवण करने हेतु नामित नोडल अधिकारी से संबंधित सूचना :-

क्रमांक	विभाग/ विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/ जनपद का नाम	नामित नोडल अधिकारी का नाम		
1	2	3		
		नाम	पदनाम	मोबाइल नं0/ दूरभाष नम्बर

विशेष :-

शासन के पत्र संख्या-1117/90-सं-2015-70सं/1984, दिनांक 15-10-2015 एवं उसके क्रम में समय-समय पर जारी समस्त पत्रों के अनुसार – "कम से कम संयुक्त सचिव/ संयुक्त निदेशक/ उप जिलाधिकारी/ उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी" - को नोडल अधिकारी नामित करना अपेक्षित है।

shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र-2

मा0 सांसद एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों के पत्रों पर प्रभावी एवं निश्चित कार्यवाही किये जाने का अनुश्रवण करने विषयक त्रैमासिक सूचना का विवरण :-

क्रम संख्या	मा0 सांसद/ विधान मण्डल सदस्यों का नाम	पत्र प्राप्त होने की तिथि	विषय	कृत कार्यवाही का विवरण	मा0 सदस्य को कृत कार्यवाही से अवगत कराने की तिथि	मा0 सदस्य को कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने का कारण (फुट नोट दृष्टव्य)*
1	2	3	4	5	6	7

*** विशेष :-**

शासन के पत्र संख्या-3/2018/469/90-सं0शि0प0का0-2018-01सं0शि0/2015 दिनांक- 24 अप्रैल, 2018 के प्रस्तर-7 का अवलोकन प्रश्नगत प्रपत्र के कालम-7 में सूचना अंकित करने के संबंध में अपेक्षित है।

shasanadesh.up.nic.in